संख्या–246/ III–2/05–03 (प्रा.आ.)/05

प्रेषक,

डा.एस.एस. सन्धू ,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून ।

देहरादून,दिनांक 17 फरवरी , 2005

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में जनपद नैनीताल में मिडील चीना से रतन कॉटेज तक (लम्बाई 425 मी.) तक मार्ग के सुधार एवं मरम्मत के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के पत्र संख्या–2584 UHC/Admin(B) दिनांक 1.11.2004 के द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपद नैनीताल में मिडील चीना से रतन कॉटेज तक (लम्बाई 425 मी0) मार्ग के सुधार एवं मरम्मत के कार्य के आगणन अनुमानित लागत रू0 30.26 लाख के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत आगणन पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 24.75 लाख (रू0 चौबीस लाख पच्चहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1. उक्त कार्य अनुरक्षण एवं सुधार का कार्य है,अतः अनुरक्षण मद में निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से यथा आवश्यकतानुसार ही उक्त कार्य पर धनराशि व्यय की जायेगी ।
2. प्रश्नगत मार्ग का विधिवत हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग को होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।
3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर की जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाये ।
4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है,स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
6. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।
8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

क्रमश :–2/–

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए ।

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिशिचत कर लिया जाय कि उक्त कार्य हेतु पूर्व मे किसी अन्य विभागीय अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत तो नही की गयी है,यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि तब ही अवमुक्त की जायेगी जब इस बात की लिखित रूप से पुष्टि हो जाय।

12. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

13. **यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–यू.ओ. 418/XX V11/(3)/2005 दिनांक 17, फरवरी/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।**

भवदीय

(डा.एस. एस. सन्धू)
सचिव ।

संख्या– (1)/III–2/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखि।त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त कुमांऊ मंडल, नैनीताल ।
3– अपर निबन्धक माननीय उच्च न्यायालय ,नैनीताल ।
4– जिलाधिकारी /कोषाधिकारी ,नैनीताल ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तरांचल देहरादून ।
6– मुख्य अभियन्ता , कुमांऊ क्षेत्र,लो0नि0वि0, नैनीताल ।
7– अधीक्षण अभियन्ता, 22 वां वृत्त,लो.नि.वि., नैनीताल ।
8– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
9– सचिव शहरी विकास विभाग ,उत्तरांचल शासन ।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन
10– गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(डा.एस.एस. सन्धू)
सचिव ।

R.c.joshi-Go-297